<u>प्रेस नोट थाना खुल्दाबाद</u>

आज दिनांक 29.4.2021 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज एवं पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निर्देशन में कोविड-19 के नियमो के अनुपालन कराने हेतु क्षेत्र में मैं प्रभारी निरीक्षक मामूर थे कि सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहे वीडियो कि कर्बला की तरफ से आ रही बनर्जी तिराहे के तरफ बारात में में लोग मास्क नही लगाये है ।एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन नही कर रहे इस पर बनर्जी तिराहे पर शाम 7.15 बजे चेक किया गया तो पाया गया कि कानपुर से आयी शिवबाबू केशरवानी बारात मालिक के बारात में कोविड नियमो का अनुपालन नही हो रहा है। और न ही सम्मलित लोग मास्क लगाये है । और न ही सोशल डिस्टेसिंग का पालन कर रहे है । कोविड नियमो के उल्लंघन में बारात मालिक सहित सात लोगो के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया एवं बारात को सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मास्क पहनने हेतु निर्देशित किया गया

(प्रभारी निरीक्षक)
थाना खुल्दाबाद
जनपद प्रयागराज